

## चनि-कुकी-मज़ि़ो समूह द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियाँ

### प्रलिम्स के लिये:

भारत में शरणार्थी, वर्ष 1951 का शरणार्थी सम्मेलन, वर्ष 1946 का वदिशी अधिनियम, नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 (CAA), रोहगिया शरणार्थी, शरणार्थियों के लिये संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त ।

### मेन्स के लिये:

चनि-कुकी-मज़ि़ो समूह द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियाँ, शरणार्थी संकट, भारत की शरणार्थी नीति।

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में चनि-कुकी-मज़ि़ो समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले **ज़ो रीयूनफिकेशन ऑर्गनाइज़ेशन (ZORO)** ने बांग्लादेश के **चटगाँव हलि ट्रैक्ट्स (CHT)** में रहने वाले **जातीय अल्पसंख्यकों** के "उन्मूलन की नीति" को समाप्त करने में भारत से मदद की मांग की है ।

- बांग्लादेश की सेना द्वारा रोहगिया मुस्लिम चरमपंथी समूह, अराकान आर्मी की मलीभगत से एक कथति हमले की घटना के बाद नवंबर 2022 से मज़ि़ोरम के लॉन्गतालाई ज़िले में शरण लेने वाले चनि-कुकी-मज़ि़ो समूह से जुड़े लोगों की संख्या 300 से अधिक है ।



## बांग्लादेश में चनि-कुकी-मजिो समूह द्वारा सामना किये जाने वाले मुद्दे:

- बांग्लादेशी सेना द्वारा इन्हें खत्म करने की नीतिके कारण चटगाँव हलि ट्रैक्ट्स (CHT) में स्वदेशी कुकी-चनि जनजातियों के संवैधानिक और मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन किया जा रहा है।
  - CHT दक्षिण-पूर्वी बांग्लादेश में 13,000 वर्ग कमी. का पहाड़ी और जंगली क्षेत्र है, जो भारत के मजिोरम एवं त्रिपुरा तथा म्यांमार के चनि व रोहगियाओं से बसे हुए रखाइन राज्य की सीमा से लगा हुआ है।
- ब्रिटिश पूर्व चटगाँव हलि ट्रैक्ट्स में स्वशासी सरदार और सरदारनियों थीं (Self-governing Chieftoms and Chieftaincies)। इन समूहों की आबादी को या तो ख्याँगथा के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जो जनजातियाँ नदी के किनारे रहती हैं, या तोंगथा, जो पहाड़ियों के घने जंगलों में रहती हैं।
- ये जनजातियाँ हिंदू राजाओं और मुस्लिम नवाबों के नियंत्रण से बाहर रहीं, लेकिन वर्ष 1860 में अंग्रेजों द्वारा CHT पर कब्जे से उन्हें बाहरी दबावों के प्रति संवेदनशील बना दिया।
- अंग्रेजों ने जनजातियों की पहचान, रीति-रिवाजों, संस्कृति, परंपरा एवं पैतृक भूमिकी रक्षा के लिये CHT को विशेष संवैधानिक दर्जा दिया। हालाँकि प्रतर्बिधात्मक कानूनों को वर्ष 1903 तक नरिसत् कर दिया गया था ताकि मैदानी क्षेत्र के नवासियों को उच्च क्षेत्रों में प्रवेश मलि सके।
- स्थानीय लोगों की अपेक्षाओं के विपरीत CHT को वर्ष 1947 में पाकस्तान में सम्मलित कर दिया गया था जिससे सभी स्थानीय जनजातियों को जीवन के सभी पहलुओं में भेदभाव का सामना करना पड़ा।
- जबकि CHT की जनजातीय आबादी में भारी गरिवट आई है, बांग्लादेश सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के नाम पर स्थानीय जनजातियों विशेष रूप से कुकी-चनि लोगों की पैतृक भूमि पर अतिक्रमण कर लिया।

## उनकी मांगें:

- CHT की कुकी-चनि जनजातियाँ पहाड़ियों में बड़े पैमाने पर गैर-आदवासी लोगों की आमद के कारण एक अलग राज्य की मांग कर रही हैं लेकिन बांग्लादेश सरकार ने अपने दमनकारी उपायों को जारी रखने का फैसला किया है।
- ज़ोरो (ZORO) ने भारत से कहा है कि वह अपने बांग्लादेशी समकक्ष को कुकी-चनि राष्ट्रीय सेना (KNA) के साथ संघर्ष वरिम की घोषणा करने तथा CHT में कुकी-चनि लोगों के अधिकारों का दुरुपयोग बंद करने की सलाह दे।

- संगठन ने भारत से गृह मंत्रालय एवं सीमा सुरक्षा बल को यह नरिदेश देने की भी अपील की कि बांग्लादेश से भागकर मज़ोरम में अपनी "स्वजातियों" के बीच शरण लेने वाले कुकी-चनि लोगों को न भगाया जाए।

## भारत की शरणार्थी नीति:

- शरणार्थियों की बढ़ती आमद के बावजूद भारत में शरणार्थियों की समस्या के समाधान के लिये विशिष्ट कानून का अभाव है।
- भारत वर्ष **1951 के शरणार्थी सम्मेलन और वर्ष 1967 के प्रोटोकॉल** का पक्षधर नहीं है, जो शरणार्थी संरक्षण से संबंधित प्रमुख कानूनी दस्तावेज़ हैं।
  - हालाँकि शरणार्थी संरक्षण के मुद्दे पर भारत का शानदार रिकॉर्ड रहा है। भारत में वदेशी लोगों और संस्कृतिको आत्मसात करने की एक नैतिक परंपरा है।
- इसके अलावा भारत का संविधान मनुष्यों के जीवन, स्वतंत्रता और गरमा का भी सम्मान करता है।
  - सर्वोच्च न्यायालय ने **2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024** (1996) मामले में कहा कि "वदेशी नागरिकों सहित सभी नागरिक समानता के अधिकार और जीवन के अधिकार के हकदार हैं।"
- इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 21 में गैर-प्रत्यावर्तन के अधिकार को शामिल किया गया है।
  - गैर-प्रत्यावर्तन अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत एक सदिधांत है जो कहता है कि अपने देश में उत्पीड़न से भागने वाले व्यक्तिको स्वयं के देश लौटने के लिये मजबूर नहीं किया जाना चाहिये।

## भारत में शरणार्थियों की स्थिति:

- अपनी स्वतंत्रता के बाद से भारत ने पड़ोसी देशों के शरणार्थियों के विभिन्न समूहों को स्वीकार किया है, जिनमें शामिल हैं:
  - 1947 में पाकस्तान से शरणार्थियों का पलायन।
  - तबिबती शरणार्थी जो 1959 में पहुँचे।
  - 1960 के दशक की शुरुआत में **चकमा और हाजोंग** वर्तमान बांग्लादेश से।
    - 1965 और 1971 में अन्य बांग्लादेशी शरणार्थी।
  - 1980 के दशक के **श्रीलंकाई तमिल शरणार्थी**।
  - म्याँमार से **रोहंगिया शरणार्थी**।

## शरणार्थियों को नयिंतरति करने हेतु वर्तमान वधायी ढाँचा:

- **1946 का वदेशी अधनियम:** धारा 3 के तहत केंद्र सरकार को अवैध वदेशी नागरिकों का पता लगाने, हरिसत में लेने और नरिवासति करने का अधिकार है।
- **पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधनियम, 1920:** धारा 5 के तहत अधिकारी भारत के संविधान के अनुच्छेद 258(1) के तहत कसी अवैध वदेशी को बलपूर्वक हटा सकते हैं।
- **वदेशी नागरिकि पंजीकरण अधनियम, 1939:** इसके तहत एक अनविर्य आवश्यकता यह है कि दीर्घकालिक वीज़ा (180 दिनों से अधिक) पर भारत आने वाले सभी वदेशी नागरिकों (भारत के वदेशी नागरिकों को छोड़कर) को भारत आने के 14 दिनों के भीतर पंजीकरण अधिकारी के साथ खुद को पंजीकृत करना आवश्यक है।
  - वदेशियों का पंजीकरण अधनियम, 1939 और वदेशियों के पंजीकरण के नयिम, 1992 वदेशी पंजीकरण को अनविर्य और वनियमति करते हैं।
- **नागरिकता अधनियम, 1955:** इसमें अस्वीकार करने, समाप्त और नागरिकता से वंचति करने का प्रावधान है।
- इसके अलावा **नागरिकता संशोधन अधनियम, 2019 (CAA)** केवल बांग्लादेश, पाकस्तान और अफगानस्तान में सताए गए हद्वि, ईसाई, जैन, पारसी, सखि तथा बौद्ध प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करना चाहता है।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्षों के प्रश्न

प्रश्न. नमिनलखिति युग्मों पर वचिर कीजयि: (2016)

समाचारों में कभी-कभी उल्लखिति समुदाय	देश
1. कुरद	बांग्लादेश
2. मधेसी	नेपाल
3. रोहंगिया	म्याँमार

उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) केवल 3

उत्तर: (c)

**प्रश्न.** भारत की सुरक्षा को गैर-कानूनी सीमा पार प्रवसन कसि प्रकार खतरा प्रस्तुत करता है? इसे बढ़ावा देने के कारणों को उजागर करते हुए ऐसे प्रवसन को रोकने की रणनीतियों का वर्णन कीजिये। (मुख्य परीक्षा, 2014)

[स्रोत: द द्रिष्टि](#)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/challenges-faced-by-chin-kuki-mizo-group>

